



The Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016

Act 9 of 2016

Keyword(s):

Fighters of Democracy, Free Medical Facility, Free Transport Facility, Honour Money

Amendments appended: 36 of 2018, 25 of 2021

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 22 मार्च, 2016

चैत्र 2, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 587/79-वि-1-16-1(क) 14-2016
लखनऊ, 22 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 पर दिनांक 21 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2016]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

लोकतंत्र सेनानी, जिन्होंने आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया एवं जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा/डी०आई०आर० के अधीन कारागार में निरूद्ध रहे हों, को सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

संक्षिप्त नाम
और विस्तार

परिभाषायें

2-जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-

(क) "लोकतंत्र सेनानी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासियों से है, जिन्होंने आपातकालीन अवधि अर्थात् दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया और जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में राजनैतिक आधार पर इस अवधि के दौरान किसी भी समय पर निरुद्ध रहे हों;

(ख) "निःशुल्क चिकित्सा सुविधा" का तात्पर्य लोकतंत्र सेनानियों को राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में प्रदान की जाने वाली निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से है जिसमें समस्त प्रकार की निःशुल्क जाँचे, निःशुल्क उपचार और आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण एवं साथ में आवश्यकतानुसार दवाओं की खरीद भी सम्मिलित है;

(ग) "निःशुल्क परिवहन सुविधा" का तात्पर्य लोकतंत्र सेनानी को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दी जाने वाली निःशुल्क यात्रा सुविधा से है;

(घ) "सम्मान राशि" का तात्पर्य लोकतंत्र सेनानी को दी जाने वाली ऐसी सम्मान राशि से है, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।

यह अधिनियम
कतिपय व्यक्तियों
पर लागू नहीं होगा।

3-इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे:-

(1) राजनैतिक आधार से भिन्न आधार पर कारागार में निरुद्ध व्यक्ति।

(2) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सम्मान राशि व अन्य सुविधायें प्राप्त करने हेतु अपनी पात्रता स्थापित करने के लिये या किसी अन्य व्यक्ति की पात्रता स्थापित करने के लिये असत्य विवरण या सूचना या प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो।

सम्मान राशि
स्वीकृत करने का
अधिकार

4-(1) इस अधिनियम के अधीन कोई सम्मान राशि परिशिष्ट 'क' में निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(2) सम्मान राशि का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आवश्यक सत्यापन के पश्चात् सीधे कर दिया जायेगा।

(3) (एक) लोकतंत्र सेनानी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो और देश के किसी भी जेल में मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन निरुद्ध रहा हो। उसके लिये इस रूप में प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से की जायेगी;

(दो) जिन लोकतंत्र सेनानियों के अभिलेख जिला कारागार में उपलब्ध नहीं हैं अथवा नष्ट हो गये हैं, उनके प्रकरणों पर विचार करते समय सम्बन्धित जिलाधिकारी आवश्यक सत्यापन के उपरान्त अन्य उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों से अपना यह समाधान कर लेंगे कि आपातकालीन अवधि, दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक, में लोकतंत्र की रक्षा हेतु आपातकाल के विरोध में मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन सम्बन्धित धाराओं में आवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई हो एवं उसकी गिरफ्तारी/निरुद्धि की पुष्टि होती हो;

(तीन) जिन लोकतंत्र सेनानियों के विरुद्ध मीसा/डी0आई0आर0 के अतिरिक्त अन्य दांडिक धारयें भी लगी हैं, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से यह समाधान कर लेंगे कि ऐसी अन्य धारयें आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये संघर्ष करते समय आपातकाल के विरोध में लगी हों तथा गिरफ्तारी/निरुद्धि राजनैतिक कारणों से इतर न रही हो;

(चार) जिन मामलों में आवेदनकर्ता एक से अधिक जिलों से सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, संबंधित जिलाधिकारी उनसे इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लेंगे कि उनके द्वारा केवल एक ही जिले से आवेदन किया गया है तथा इसकी पुष्टि भी संबंधित जिलाधिकारी दूसरे जिलाधिकारी से कर लेंगे;

(पाँच) जो लोग वर्ष 2006-2007 में लोकतंत्र सेनानी घोषित हैं और उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान राशि नियमावली, 2012 दिनांक 14.09.2012 के निर्गत होने के पश्चात् और दिनांक 30.12.2013 अर्थात् संशोधित नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व लोकतंत्र सेनानी घोषित किये गये हैं, उन्हें दिनांक 01.04.2012 से सम्मान राशि स्वीकृत की जाएगी तथा जो लोग ऊपर उल्लिखित संशोधित नियमावली के प्रख्यापन के दिनांक के बाद नये लोकतंत्र सेनानी घोषित किये गये हैं, उन्हें आवेदन पत्र के स्वीकृति के दिनांक से लोकतंत्र सेनानी मानते हुए सम्मान राशि दी जाए।

(4) यदि किसी लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु दिनांक-01.04.2012 के पश्चात् और इस योजना के लागू रहने की अवधि के दौरान हो जाये तो ऐसे मामले में उसके उत्तराधिकारी को उतनी अवधि की सम्मान राशि दी जायेगी, जितनी अवधि तक लोकतंत्र सेनानी दिनांक 01.04.2012 के बाद जीवित रहा।

(5) लोकतंत्र सेनानी को एक परिचर सहित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जायेगी। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राजनैतिक पेंशन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को नियमानुसार की जायेगी।

(6) राज्य सरकार का चिकित्सा विभाग लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगा, जिसमें समस्त प्रकार की निःशुल्क जाँचे, निःशुल्क उपचार और आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण एवं साथ में आवश्यकतानुसार दवाओं की खरीद भी सम्मिलित हैं और चिकित्सा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत आदेश प्रभावी होंगे।

(7) सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति को एकल बचत खाता किसी बैंक की उस शाखा में, जहाँ वह रहता है, खोलना होगा तथा इसकी सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

(8) सम्बन्धित जिलाधिकारी सम्मान राशि के आहरण हेतु अनुदान की राशि का बिल सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत करेंगे। बिल के साथ सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति का नाम, बचत बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और बैंकवार धनराशि का विवरण संलग्न किया जायेगा। तत्पश्चात् इन विवरणों के अनुसार ही सम्बन्धित कोषागार, सम्मान राशि पाने वाले व्यक्तियों के बैंक खाता में सीधे सम्मान राशि जमा करेगा। किसी भी दशा में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(9) सम्मान राशि एवं अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे तथा सुसंगत नियमों के अनुसार उनका लेखा परीक्षण कराना होगा।

5-इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत सम्मान राशि निम्नलिखित आधार पर अथवा किसी अन्य कारण से किसी भी समय बिना कोई कारण बताये व बिना नोटिस दिये निरस्त की जा सकती है:-

(एक) नैतिक अधमता के अपराध तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण;
 (दो) राजनैतिक दण्ड को छोड़कर किसी अन्य अपराध में दण्डित होने के कारण;
 (तीन) धारा 3 की उप धारा (1) और (2) के अधीन उल्लिखित अपात्रता के बावजूद सम्मान राशि प्राप्त करने के कारण;

(चार) असत्य सूचना और असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के कारण।

सम्मान राशि
निरस्त करना

लोकतंत्र
सेनानियों की
मृत्यु की दशा में

6-(1) लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में, लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति, पत्नी या पति सम्मान राशि और सुविधायें प्राप्त करेगी/करेगा।

(2) किसी भी लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में उसकी अंत्येष्टि क्रिया राजकीय सम्मान के साथ की जायेगी।

सम्मान राशि हेतु
आवेदन करने
की रीति

7-(1) इस अधिनियम के अधीन सम्मान राशि स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र संलग्नक-क में दिये गये प्रपत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा कारागार में निरुद्ध रहने के समर्थन में निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ सम्बन्धित जेल अधीक्षक या जिलाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार किसी भी प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में, यदि आवश्यक हो, जाँच करा सकती है।

सम्मान राशि की
वसूली

8-(1) धारा 5 के अधीन किसी आवेदक की सम्मान राशि के निरस्त किये जाने की दशा में सम्मान राशि की वसूली उससे भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

(2) सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी सम्मान राशि की स्वीकृति में हुई किसी अनियमितता के लिये उत्तरदायी होगा।

नियम बनाने का
अधिकार

9-राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

कठिनाईयों को
दूर करने की
शक्ति

10-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक व समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

विखण्डन और
विधिमाम्यकरण

11-(1) सरकारी अधिसूचना संख्या 800(1)जेड/6- एस0ए0-1-2012- 55जी/ 90, दिनांक 14 सितम्बर, 2012 में जारी उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान राशि सम्बन्धी नियमावली, 2012 एवं संशोधित नियमावली दिनांक 30.12.2013 एतद्द्वारा विखण्डित की जाती है।

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान् समय प्रवृत्त था।

परिशिष्ट 'क'
धारा-4(1) देखिये

देश में आपातकालीन अवधि, दिनांक 25.06.1975 से प्रारम्भ होकर दिनांक 21.03.1977 को समाप्त होने वाली अवधि, के दौरान प्रदेश के निरुद्ध राजनैतिक बन्धियों द्वारा सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु

आवेदन पत्र का प्रारूप।

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता का नाम
3. पूरा पता : स्थायी पता
- स्थानीय पता

फोटो

4. क्या आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी है?
5. जेल में निरुद्ध रहने की अवधि
- (निरुद्ध होने तथा मुक्त होने की तिथि)
6. निरुद्ध रहने का स्थान तथा जिले
- का नाम जहाँ यह स्थित है.....
7. कार्यकलापों का विवरण जिसमें
- वह निरुद्ध किया गया
- (यह प्रमाण पत्र जेल, प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, संलग्न करना अनिवार्य होगा।)
8. धाराएं जिनके अधीन जेल में निरुद्ध किया गया.....
9. निरुद्ध किये जाने से सम्बन्धी दस्तावेज की सत्यापित प्रतियाँ
10. ऊपर मद संख्या-7 में दिये गये विवरण का साक्ष्य
- (यह प्रमाण-पत्र भूतपूर्व या वर्तमान दो विधायकों/संसद सदस्यों/दो ऐसे लोकतन्त्र सेनानी जिनको लोकतन्त्र सम्मान राशि स्वीकृत हो चुकी है और जो आवेदक के साथ सहबन्दी (कोप्रिजनर) रहे हों, द्वारा दिया जायेगा, जिसमें आपातकालीन अवधि के दौरान राजनैतिक कारणों से भोगी गयी जेल की अवधि निर्दिष्ट हो)।
- एतद्द्वारा मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर मद संख्या-7 में दिये गये विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी और सूचना के अनुसार सही हैं।

प्रमाणकर्ता व्यक्तियों के हस्ताक्षर,
पद तथा पूरा पता।

- (1)
- (2)

आवेदक द्वारा शपथ-पत्र

एतद्द्वारा मैं सत्य-निष्ठापूर्वक यह शपथ लेता हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही हैं। यदि कोई विवरण गलत पाया जाय, तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी सम्मान राशि निरस्त कर दे और, उसे भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल कर ली जाय।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाण-पत्र

संख्या.....

दिनांक.....

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिये गये विवरणों की जाँच कर ली गई है और उन्हें सही पाया गया है।

जिलाधिकारी
मुहर

नोट : (1)
(2)

उद्देश्य और कारण

आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977) के दौरान असंख्य व्यक्तियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिये संघर्ष किया था, जिससे कि लोकतंत्र की बहाली हो सकी। आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रहते हुये संघर्ष करने एवं इसके फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरुद्ध रहे उत्तर प्रदेश के राजनैतिक बन्धियों/ लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिमाह सम्मान राशि, राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा एवं राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु वर्ष 2006 में सर्वप्रथम नियमावली बनायी गयी, जो दिनांक 31.03.2007 तक प्रभावी थी। राज्य सरकार की राय है कि उक्त व्यक्तियों को उक्त सुविधायें प्रदान की जायेंगी। अतएव अब, यह विनिश्चय किया गया है कि एक विधि बनाकर उत्तर प्रदेश के ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया एवं जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में निरुद्ध रहे हों, को सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधयेक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 587 (2)/LXXIX-V-1-16-1 (ka) 14-2016

Dated Lucknow March 22, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Loktantra Senani Samman Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 21, 2016 :-

THE UTTAR PRADESH FIGHTERS OF DEMOCRACY HONOUR ACT, 2016

[U.P. Act No. 9 of 2016]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for Honour money, free transport facility and free medical facility to fighters of democracy who actively fought to protect the democracy during emergency period (25.06.1975 to 21.03.1977) and who were detained in jail under MISA/DIR for participating in such activities and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Fighters of Democracy" means such permanent residents of Uttar Pradesh who actively fought to protect the democracy during emergency period *i.e.* from 25.06.1975 to 21.03.1977 and who were detained at any time during this period, on political grounds in jail under MISA/DIR for participating in such activities;

(b) "Free medical facility" means free medical facility, which includes all kinds of free tests, free treatment and free distribution of necessary medicines including purchase of medicines as per requirement, to be provided in Government hospitals of the State, to fighters of democracy;

(c) "Free transport facility" means free travel facility in the buses of the Uttar Pradesh State Roadways Transport Corporation to fighters of democracy ;

(d) "Honour money" means such Honour money to be given to the fighters of democracy as may be determined by the State Government from time to time.

3. The provisions of this Act shall not apply to :-

This Act shall not apply to certain persons

(1) persons detained in jail other than political grounds;

(2) persons who have submitted false details or information or certificate in his/her favour or in the favour of any other person for making him/her eligible to avail the Honour money and other facilities;

4. (1) Any Honour money under this Act shall be sanctioned by the District Magistrate of the concerned district in the pro-forma given in Appendix 'A'.

Power to sanction Honour money

(2) The District Magistrate shall pay the Honour money directly after necessary verification of the documents submitted by the applicant.

(3) (i) A fighter of democracy must be a resident of Uttar Pradesh and was detained under MISA/DIR in any jail of the country. He shall have to annex the certificate as such, which shall be verified by the District Magistrate concerned at his level;

(ii) While considering the case of such fighters of democracy whose documents are not available in the jail or destroyed, the District Magistrate concerned shall, after necessary verification, satisfy himself with other available documents that F.I.R. was lodged in relevant sections under MISA/DIR against the applicant while opposing the emergency imposed during period from 25.06.1975 to 21.03.1977 and his arrest/detention is confirmed;

(iii) Such fighters of democracy, against whom other criminal sections were also imposed besides MISA/DIR, the District Magistrate shall satisfy himself that such other sections were imposed while fighting for the democracy during emergency and in opposition of imposition of emergency and arrest/ detention was not other than political grounds;

(iv) In such cases where any applicant is applying for availing Honour money and other facilities from more than one district, the District Magistrate shall take an affidavit from the applicant that he has applied from only one district and the District Magistrate shall confirm it from the other District Magistrate;

(v) Such persons, who have already been declared fighters of democracy in the year 2006-2007 and such persons, who have been declared fighters of democracy after issuance of Uttar Pradesh Loktantra Senaniyon ko diye jane wali Samman Rashi Niyamawali, 2012, dated 14.09.2012 and before 30.12.2013 i.e. date of commencement of amended Rules, shall be sanctioned Honour money with effect from 01.04.2012 and such persons, who have been declared fighters of freedom after commencement of the above mentioned amended Rules, shall be sanctioned Honour money deeming them fighters of democracy from the date of sanction of their application form.

(4) If any fighter of democracy died after 01.04.2012 and during the period of enforcement of this scheme then in such case his successor shall be given Honour money only for such period during which fighter of democracy was alive after 01.04.2012.

(5) The fighter of democracy shall be given facility of free travel along with one attendant in the buses of Uttar Pradesh State Road Transport Corporation. The expenditure incurred on it shall be reimbursed to the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation by the department of Political Pension of the State Government.

(6) The Medical department of the State Government shall provide free medical facility to Fighters of democracy in State Government Hospitals, which includes all kinds of free tests, free treatment and free distribution of necessary medicines, including purchase of medicines as per requirement and the orders issued in this regard by the medical department shall be effective.

(7) The person receiving the Honour money shall have to open a single operated savings account in such branch of any bank where he/she resides and shall have to intimate it to the District Magistrate.

(8) The District Magistrate concerned shall send the grant bill for withdrawal of Honour money in the concerned Treasury. The name of the person receiving the Honour money, savings bank account number, name of bank and details of bank-wise amount shall be attached along with the bill. Thereafter according to these details, the concerned treasury shall directly deposit the Honour money in the bank accounts of the persons getting the Honour money. No advance payment shall be given in any case.

(9) All the documents related with the Honor money and other facilities shall be maintained safely and shall get audited according to relevant rules.

Cancellation of Honour money

5. The Honour money sanctioned to a person under this Act may be cancelled on the following grounds or any other ground at any time without giving any reasons or notice:--

- (i) participation in any crime of moral turpitude and in anti national activity;
- (ii) punishment in any crime other than political punishment;
- (iii) received the Honour money despite any ineligibility under sub-sections (1) and (2) of section 3;
- (iv) submission of false information and false affidavit.

In case of death of fighters of democracy

6. (1) In the event of the death of a fighter of democracy, the wife or husband of the fighter of democracy, as the case may be, shall get the Honour money and the facilities.

(2) In the event of the death of the any fighter of democracy, his last rites will be performed with State Honours.

Manner of applying for Honour money

7. (1) The application form for sanction of Honour money under this Act shall be submitted in pro-forma given in Appendix-A to the District Magistrate.

(2) The applicant shall submit a certificate in support of his detention in jail given by the Jail Superintendent or the District Magistrate concerned along with the application form.

(3) The State Government may make enquiry regarding any application if necessary.

Recovery of Honour money

8. (1) In case of cancellation of Honour money of any applicant under section 5, it shall be recovered from him/her as arrears of land revenue.

(2) The District Magistrate of the concerned district shall be responsible for any irregularity in sanctioning of the Honour money.

9. The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules

10. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, for removing such difficulty, by order published in the *Gazette* direct that the provision of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient.

Power to remove difficulties

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the date of commencement of this Act.

11. (1) The Uttar Pradesh Loktantra Senaniyo Ko diye jane wali Samman Rashi Sambandhi Niyamavali, 2012 Issued in Government notification no. 800(1)Z/6-SA-1-2012-55G/90, dated- September 14, 2012, as amended on 30th December, 2013 is hereby rescinded.

Rescission and validation

(2) Notwithstanding such rescission, anything done under the Niyamavali referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

APPENDIX "A"


[See section-4(1)]

Form of application for receiving Honour money by political prisoners of the State detained in the jail during period of emergency (commencing on 25.06.1975 and ending with 21.03.1977) in the country

1. Name of applicant
2. Father's name
3. Full address
 Permanent-.....

 Local

4. Whether applicant is a domicile of Uttar Pradesh
5. Period of detention in jail (date of detention and date of release)
6. Place of detention in jail and name of the district where it situated



7. Details of activities which he/she was
detained (this certificate shall be in
addition to jail certificate and is
essential to be attached)
8. Sections under which he/she detained
in jail
9. Certified copies of the documents of
the detention
10. Evidences of details given in item no.7
above

(This certificate shall be given by two former or present MLAs/MPs/ Fighters of democracy who have been sanctioned the Honour money and who have been co-prisoners with the applicant, which mentions the period during which detention has been suffered on political grounds during the emergency.)

I hereby certify that the details given in item no-7 above are true to my personal knowledge and information.

Signature of certifying person

Designation and full address

1.

2.

Affidavit by the applicant

I, hereby, pledge that above details are true. If the Government finds anything false, it shall have right to cancel my Honour money and shall be recovered from me as arrears of land revenue.

Dated.....

Signature of applicant

Certificate

No.....

Dated.....

It is hereby certified that the details given above have been examined by me and found true.

NOTE. (1)

(2)

District Magistrate

Seal

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Several people had fought for protecting democracy during emergency period (from June 25, 1975 to March 21, 1977) due to which democracy could be revived. For the first time in the year 2006 rules have been framed for those political pensioners/fighters of democracy of Uttar Pradesh to provide them Honour money per month, free travel facility in the buses of State Roadways Transport Corporation and free medical facility in the Government Hospitals who actively fought for the protection of democracy during emergency and detained in prison under MISA/DIR. Such rules were in force till March 31, 2007. The State Government is of the opinion that the said facilities shall be given to the said persons. It has, therefore, been decided to make a law to provide for giving Honour money, free transport facilities and free medical facilities to the persons of Uttar Pradesh who actively fought to protect the democracy during emergency period (June 25, 1975 to March 21, 1977) and were detained in Jail under MISA/DIR for participating in such activities.

The Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1031 राजपत्र-(हिन्दी)-2016-(2396)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 132 सा० विधायी-2016-(2397)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 सितम्बर, 2018
भाद्रपद 19, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1890/79-वि-1-18-1(क)-17-2018
लखनऊ, 10 सितम्बर, 2018

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) अधिनियम, 2018 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 9
सन् 2016 की
धारा 6 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 की धारा 6 में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“परन्तु ऐसे लोकतंत्र सेनानियों, जो इस रूप में घोषित किये गये थे तथा सम्मान राशि प्राप्त कर रहे थे और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने अर्थात् दिनांक 22 मार्च, 2016 के पूर्व जिनकी मृत्यु हो गयी थी, की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति को इस उपधारा के अधीन सम्मान राशि और सुविधाएं, इस अधिनियम के अधीन, मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति को उनके इस प्रयोजनार्थ किये गये आवेदन को स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रदान की जायेंगी।”

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2016), ऐसे लोकतंत्र सेनानियों, जिन्होंने आपातकालीन अवधि (दिनांक 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977) के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिये वास्तव में संघर्ष किया था और जो ऐसे कार्यकलापों में भाग लेने के लिये मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में निरुद्ध किये गये थे, को सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि किसी लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में यथास्थिति लोकतंत्र सेनानी की पत्नी या पति, सम्मान राशि और ऐसी सुविधायें प्राप्त करेंगे। ऐसे लोकतंत्र सेनानियों, जो इस रूप में घोषित किये गये थे तथा सम्मान राशि प्राप्त कर रहे थे और जिनकी उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो गयी थी, की उत्तराधिकारी पत्नी या पति उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन उपबंधित सम्मान राशि और सुविधायें, उन लोकतंत्र सेनानियों, जिनकी उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो गयी थी, की पत्नी या पति को भी उनके उक्त प्रयोजनार्थ किये गये आवेदन को स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रदान करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1890 (2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)-17-2018

Dated Lucknow, September 10, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Loktantra Senani Samman (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 36 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 7, 2018.

THE UTTAR PRADESH FIGHTERS OF DEMOCRACY HONOUR

(AMENDMENT) ACT, 2018

(U.P. Act No. 36 of 2018)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour (Amendment) Act, 2018.

Short title

Amendment of
section 6 of U.P.
Act no. 9 of 2016

2. In section 6 of the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :-

“Provided that those Fighters of Democracy who were declared as such and getting honour money and died before the commencement of this Act *i.e.*, March 22, 2016, the successor wife or husband thereof, as the case may be, shall be given honour money and facilities under this sub-section with effect from the sanction of their application made for this purpose as sanctioned to the successor wife or husband as the case may be, of the deceased Fighter of Democracy under this Act.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

The Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016 (U.P. Act no. 9 of 2016) has been enacted to provide for Honour Money, free transport facility and free medical facility to fighters of democracy who actually fought to protect the democracy during emergency period (June 25, 1975 to March 21, 1977) and who were detained in jail under MISA/DIR for participating in such activities. Section 6 of the said Act *inter alia* provides that in the event of the death of a fighter of democracy, the wife or husband of the fighters of democracy, as the case may be, shall get the Honour money and such facilities. The fighters of democracy who were declared as such and getting Honour money and died before the commencement of the said Act, the successor wife or husband thereof are not entitled to get the facilities under section 6 of the said Act. It has been decided to amend the said Act to give Honour money and facilities provided under section 6 of the said Act to the wife or husband of those fighters of democracy also who died before the commencement of the said Act from the date of sanction of their application made for the said purpose.

The Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour (Amendment) Bill, 2018 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 249 राजपत्र-(हिन्दी)-2018-(675)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफ़.नेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 86 सा० विधायी-2018-(676)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफ़.नेट)



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021

भाद्रपद 2, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 797/79-वि-1-21-1-क-20-21
लखनऊ, 24 अगस्त, 2021

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 अगस्त, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन)
अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 9
सन् 2016 की
धारा 6 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 की धारा 6 में, उपधारा (1) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

परन्तु यह और कि ऐसे लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति ऐसे लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने के पश्चात् अगले दिवस से इस उपधारा के अधीन सम्मान राशि और अन्य सुविधायें प्राप्त करने का हकदार होगी/होगा, किन्तु ऐसा आवेदन, ऐसे लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने के तीन माह के भीतर किये जाने की अपेक्षा की जायेगी:

परन्तु यह भी कि यदि मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति द्वारा सम्मान राशि और अन्य सुविधाओं के लिये पूर्वोक्त आवेदन, लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के तीन माह के पश्चात् किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सम्मान राशि और अन्य सुविधायें, उक्त आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से प्रदान की जायेगी।

उद्देश्य और कारण

लोकतंत्र सेनानियों, जिन्होंने आपात अवधि (दिनांक 25 जून, 1975 से दिनांक 21 मार्च, 1977 तक) के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया और जिन्हें ऐसे कार्यकलापों में भाग लेने के लिए मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में निरुद्ध किया गया था, को सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा एवं निःशुल्क चिकित्सा का उपबंध करने के लिये उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2016) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 में अन्य बातों के साथ यह उपबंध है कि किसी लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की स्थिति में लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति पत्नी या पति सम्मान राशि और सुविधायें प्राप्त करेगी/करेगा।

वस्तुतः पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों के आलोक में मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति के आवेदन को स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया में प्रायः स्वाभाविक रूप से प्रक्रियात्मक विलम्ब हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए कतिपय उपबंध किये जाने आवश्यक हैं कि मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति को सम्मान राशि और अन्य सुविधायें, ऐसे लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने की तिथि के अगले दिन से प्राप्त होने लगें।

अतएव ऐसे लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने के अगले दिन से लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति, उत्तराधिकारी पत्नी या पति को सम्मान राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक परन्तुक जोड़कर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। परन्तु यह कि यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति ऐसे लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने के तीन माह के भीतर सम्मान राशि तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिये आवेदन करें। यदि ऐसा आवेदन लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने के तीन माह के पश्चात् किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सम्मान राशि और अन्य सुविधाएं, उक्त आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से प्रदान की जायेगी।

तदनुसार उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 797 (2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-20-21

Dated Lucknow, August 24, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Loktantra Senaani Samman (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 24, 2021. The Rajnaitik Pension Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH FIGHTERS OF DEMOCRACY HONOUR (AMENDMENT)
ACT, 2021

(U.P. Act no. 25 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as follows :-

- | | |
|--|--|
| 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour (Amendment) Act, 2021. | Short title |
| 2. In section 6 of the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016 in sub-section (1) after the proviso, the following proviso shall be <i>inserted</i> , namely :- | Amendment of section 6 of U.P. Act no. 9 of 2016 |

Provided further that the successor wife or husband of such fighter of democracy, as the case may be, shall be entitled to get the honour money and other facilities under this sub-section from the next day after the death of such fighter of democracy, but such application shall be required to be made within three months of the death of such fighter of democracy:

Provided also that if the aforesaid application for the honour money and other facilities is given by the successor wife or husband of the deceased fighter of democracy as the case may be, three months after the death of the democracy fighter, then in such a situation, the honour money and other facilities shall be provided from the date of receipt of the said application.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016 (U.P. Act no. 9 of 2016) has been enacted to provide for Honour Money, free transport facility and free medical facility to fighters of democracy who actively fought to protect democracy during the emergency period (June 25, 1975 to March 21, 1977) and who were detained in jail under MISA/DIR for participating in such activities. Section 6 of the said Act, *inter alia*, provides that in the event of the death of a fighter of democracy, the wife or husband of fighter of democracy, as the case may be, shall get Honour Money and other such facilities.

In fact, in light of the provisions of the aforesaid Act, there is often a natural procedural delay in the process of sanctioning of the application of the successor wife or husband, as the case may be, of the deceased fighter of democracy. In such a situation certain provisions need to be made to ensure that the successor wife or husband, as the case may be, of the deceased fighter of democracy gets Honour Money and other facilities from the day after the death of such fighter of democracy.

Therefore, it has been decided to amend section 6 of the aforesaid Act by adding a proviso to give Honour Money and other facilities to the successor wife or husband, as the case may be, of the fighter of democracy from the day after the death of such fighter of democracy provided that the successor wife or the husband, as the case may be, applies for receiving the Honour Money and other facilities within three months of the death of such fighter of democracy. If such an application is made after three months of the death of such fighter of democracy, then in such a situation the Honour Money and other facilities shall be provided from the date of receipt of such application.

The Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour (Amendment) Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.